

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.) (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- अर्पिता खोत्री (RAS)

#### उनवान

वामफ्तदा पुत्र जाधु जाति जाट करीमपुरा बनाव नाम जाधु पुत्र नन्हा जाट हाडकिला  
दाल बाबत कलक - 2

मुकदमा नम्बर :- 13/18 मुकदमे का प्रकार :-

निर्णय दिनांक :- 28-5-18

वादी की ओर से रामकरण वर्मा की व प्रतिवादी की ओर से जाधु वर्मा

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.5.18 को अर्पिता खोत्री (RAS) (नाम पीठासीन अधिकारी) ने समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

मुताबिक लोक अदालत की भावना से हावा इस प्रकार डिबी किया जात है कि सुमि आराजी खसरा नं. 85 खसरा उबीबा न बिस्वा खसरा नं. 132 खसरा 1 बिला 6 बिस्वा के ग्रां करीमपुरा लॉ-पीपलू में वादीगण की खातेदारी कलजे कास्ट में प्रतिवादी नं. 1 को पाबंद किया जाता है कि वगित सुमि में कलजा कास्ट में मजामद नही करे फधलो को नख नही करे। पाबंद रहे।  
खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 28.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

अर्पिता खोत्री  
(अध्यक्ष)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पीपलू  
जिला टोंक (राज.)

#### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

अर्पिता खोत्री  
पीठासीन अधिकारी  
पीठ सी उपखण्ड अधिकारी  
पीपलू जिला टोंक (राज.)